सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 8 राँची, बुधवार 1 फाल्गुन, 1940 (श०)

20 फरवरी, 2019 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	151- 158	**भाग-4**–झारखण्ड अधिनियम	
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।		**भाग-5**–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।		**भाग-7–**संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।		**भाग-8-** भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा		**भाग-9**- विज्ञापन	---
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।		**भाग-9-क–**वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।		**भाग-9-ख–**निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
		पूरक-- ...	...
		पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

12 फरवरी, 2019 ई०।

संख्या-9/नि॰सु॰(7)-29/2017-815-- निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम-29) की धारा-25 की उप धारा (01) के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-3839, दिनांक-16.09.2010 द्वारा झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियामक) नियमावली, 2010 अधिसूचित की गई है।

उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा-3(1) के प्रावधानानुसार झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियामक) नियमावली-2010 के प्रावधानानुसार मामलों के निष्पादन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-4133, दिनांक-18.07.2017 को अवक्रमित करते हुए श्री इकबाल आलम अंसारी, विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को पदेन नियंत्री पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस॰के॰जी॰ रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

अधिसूचना

27 नवम्बर, 2018

संख्या- 03/रा०नि०-29/2009-4147 -- श्री अवधेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में), के विरूद्ध उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक- 513, दिनांक- 26.04.2011 द्वारा प्रेषित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप प्रपत्र 'क' गठित किया गया। आरोप प्रपत्र 'क' मुख्यतया इनके विरूद्ध यथा ''श्री सिन्हा इस जिले (पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर) में पदस्थापन अवधि में सोनारी स्थित शिव गंगा अपार्टमेंट की A/3 में निवास करते थे एवं फूलमनी मुर्मू इनके यहाँ नौकरानी की काम करती थी। इनके द्वारा सुश्री मुर्मू को अनुसेवक या सिपाही के पद पर नियुक्ति का प्रलोभन देकर यौन शोषण किया गया। सुश्री मुर्मू के नवम्बर 2014 में गर्भवती हो जाने पर इनके द्वारा सुश्री मुर्मू को चाकुलिया ले जाकर श्रीमती सुखी हाँसदा, नर्स से उसका गर्भपात कराया गया।'' से संबंधित आरोप गठित है, के आलोक में श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०- 1838, दिनांक- 11.08.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री नसीम खान, उप सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची तथा इनके सेवानिवृत हो जाने पर विभागीय संकल्प सं०- 1631, दिनांक- 22.07.2014 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०- 224, दिनांक- 24.11.2011 के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी श्री अशोक कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 580, दिनांक- 08.12.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का अंतिम जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिन्हा के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप गंभीर प्रकृति के है एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (iii) में प्रावधानित है कि सरकारी सेवक ऐसा कोई काम न करेगा, जो सरकारी

सेवक के लिए अशोभनीय हो, परन्तु श्री सिन्हा द्वारा अनुसूचित जनजाति की एक गरीब युवती का यौन शोषण कर घोर निन्दनीय आचरण दर्शाया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

अतः समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर, विभागीय पत्रांक- 3530, दिनांक-28.11.2016 द्वारा वृहद दण्ड देने से पूर्व श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित की गयी।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त इनके द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

पूर्व में श्री सिन्हा के विभिन्न पदस्थापन काल यथा-सिमडेगा जिले में पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अधिरोपित दण्ड अधिसूचना संख्या- 154, दिनांक- 20.01.2011, जिसमें ‘‘भविष्य में कभी भी वरीय पद पर पदस्थापित नहीं करने, चार वेतन वृद्धियाँ रोकने तथा निन्दन की सजा इस चेतावनी के साथ दी गयी थी कि यदि भविष्य में इनका आचरण सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी के आचरण नियमावली के प्रतिकूल हुआ, तो सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी’’ का दण्ड दिया गया था।

पुनः कोडरमा जिले में पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अधिरोपित दण्ड अधिसूचना संख्या- 3461, दिनांक- 30.11.2015, जिसमें श्री सिन्हा को दण्ड दिया गया था कि ‘‘ श्री सिन्हा को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इनका आचरण सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी के आचरण नियमावली के प्रतिकूल पाये जाने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी’’।

इसके अतिरिक्त चतरा जिले में पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, चतरा-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-07, दिनांक- 04.01.2016 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानकारी होने एवं उनके द्वारा बार-बार सूचित किये जाने के बावजूद श्री सिन्हा द्वारा कभी भी उपस्थित नहीं होना, उनके घोर स्वेच्छाचारिता तथा आदेशोल्लंघन की प्रवृति को प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया है तथा इनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

पूर्व में पारित उपरोक्त दण्डादेशों के बावजूद भी श्री सिन्हा द्वारा पुनः उक्त अशोभनीय एवं अनैतिक कार्य किया गया, जो कि सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है, साथ ही सिमडेगा, कोडरमा एवं चतरा जिले से संबंधित विभागीय कार्यवाही से स्वतः स्पष्ट है कि ये एक Habitual Offender है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब, पूर्व के सेवा इतिहास एवं विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 154, दिनांक-20.01.2011 एवं ज्ञापांक- 3461, दिनांक- 30.11.2015 तथा Habitual Offender प्रकृति सदृश्य कृत कार्य को दृष्टिपथ रखते हुए इन्हें सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (XI) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः श्री अवधेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (XI) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० सोरेंग,

सरकार के विशेष सचिव।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

शुद्धि पत्र

7 फ़रवरी, 2018

संख्या- 03/रा०नि०-29/2009-584-- श्री अवधेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के विरूद्ध निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- 4147, दिनांक- 27.11.2018 के प्रथम पैरा में अंकित "सुश्री मुर्मू के नवम्बर 2014 में गर्भवती हो जाने पर इनके द्वारा सुश्री मुर्मू को चाकुलिया ले जाकर श्रीमती सुखी हाँसदा, नर्स से उसका गर्भपात कराया गया" के स्थान पर "सुश्री मुर्मू के नवम्बर, 2004 में गर्भवती हो जाने पर इनके द्वारा सुश्री मुर्मू को चाकुलिया ले जाकर श्रीमती सुखी हाँसदा, नर्स से उसका गर्भपात कराया गया" पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना की शेष अन्य बाते यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० सोरेंग,

सरकार के विशेष सचिव।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

28 जनवरी, 2019

संख्या-4/आ०1-55/2016/351-- झारखंड के राज्यपाल को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री जय गोविन्द सिंह, (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2) तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज सम्प्रति- जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला के विरूद्ध झारखंड राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलवाद संख्या-1240/15 सच्चिदानन्द बनाम जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज मामले में आवेदक/अपीलकर्त्ता को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संदर्भ में पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री सतीश चन्द्र सिंकु के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-860 दिनांक-2.12.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त संचालित विभागीय कार्रवाई में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के कार्यालय से संबंधित होने के कारण श्री सिंकु तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जन सूचना पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज से सूचना की मांग की गई थी परन्तु जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के द्वारा स्वेच्छाचारितापूर्वक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई। उक्त के आलोक में सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन कर ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के प्रथम दृश्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम- 17 एवं 14 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में इस विभाग के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के आदेश-सह-ज्ञापांक-11393 दिनांक-14.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ नामित जाँच पदाधिकारी श्री ददन चौबे को संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय उप सचिव-सह-प्रथम अपील प्राधिकार, विभागीय जन सूचना, श्री असीम किस्पोट्टा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी को आदेष दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिश्चितत करें साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जाँच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगें।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र भूषण सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 फ़रवरी, 2019

संख्या-4/नि०सं०-12-07/2015-597(HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री हीरा कुमार (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद (WP(PIL) No.-3594/2011, बुद्धदेव उरांव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से प्रभावित होने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है।

Sl No.	**Employee Name G.P.F.No.**	**Current Department**	**Current Office Current Designation**	**Joining Date in Service**	**Date of Service Confirmation**
1	2	3	4	5	6
1	HEERA KUMAR (20080400096)	DC OFFICE EAST SINGHBHUM	BHARAGORA Circle EAST SINGHBHUM Circle Officer	01/09/2008	01/07/2016

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव
जी०पी०एफ० संख्या:- PTS/FD/1139

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 8 -- 50 ।